B. Com. (HONS)
P2 - A/CS (HONS)
Paper - III BRF

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.S.J. महाविद्यालय
राजनगर (मधुबनी)

## UNIT - IV

## TOPIC - SHARE CAPITAL

सामान्यतः कंपनी को अपने क्रियाकलापों के लिये बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है. यह पूँजी कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन द्वारा एकत्रित की जाती है. अतः अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूँजी को ही अंश पूँजी (Share Capital) कहा जाता है. अंश पूँजी प्रधान रूप से समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश के निर्गमन द्वारा प्राप्त किया जाता है.

### अंश पूँजी के प्रकार

कंपनी के Balance sheet में अंश पूँजी को विभिन्न उपशीर्षकों के अंतर्गत दिखाया जाता है. इन्हीं उपशीर्षकों के आधार पर अंश पूँजी को निम्न भागों में बाँटा जाता है —

(i) अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) :→ यह कंपनी की अधिकतम पूँजी राशि होती है, जिसे एक कंपनी अपने सम्पूर्ण जीवन काल में निर्गमित कर सकती है. इस पूँजी के आधार पर ही कंपनी का पंजीकरण होता है, इसलिए इसे पंजीकृत पूँजी भी कहा जाता है. इस पूँजी की राशि का उल्लेख पार्षद सीमा नियम के पूँजी वाक्य (Capital clause) में होता है. सामान्य स्थिति में इसमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता है. आर्थिक चिट्ठा में इसे केवल प्रदर्शित रूप में दिखाया जाता है, योग (Total) में शामिल नहीं किया जाता है. —

Scanned with CamSc

(ii) निर्गमित पूँजी :→ अधिकृत पूँजी का वह
(ISSUED CAPITAL) भाग जिसे कंपनी जनता को क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है, उसे निर्गमित पूँजी कहा जाता है। यह अधिकृत पूँजी से अधिक नहीं हो सकती है।

(iii) प्रार्थित पूँजी :→ निर्गमित पूँजी का वह
(Subscribed Capital) भाग जिसे लेने के लिये जनता से आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, उसे प्रार्थित पूँजी कहा जाता है यह पूँजी सामान्यतः दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है —

(i) प्रार्थित एवं पूर्ण दत्त पूँजी
(ii) प्रार्थित एवं आंशिक दत्त पूँजी

(iv) संचित पूँजी :→
(RESERVE CAPITAL) जब कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करके अपनी पूँजी के एक भाग को समापन के समय केवल मांगित करने के लिए छोड़ देती है तो इसे संचित पूँजी कहा जाता है।

उपरोक्त पूँजी के अतिरिक्त कंपनी में अन्य अंश पूँजी के प्रकार होते हैं जैसे —

Called-up capital — याचित पूँजी
Paid-up capital — चुकता पूँजी
Working capital — कार्यशील पूँजी

कंपनी की अंश पूँजी में परिवर्तन करने के लिए कंपनी को साधारण प्रस्ताव पास करना होता है, तथा इसकी सूचना 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। कंपनी अंश पूँजी में परिवर्तन निम्न प्रकार से की जा सकती है ——

Scanned with CamSc

- (i) अंश पूंजी में वृद्धि कर
- (ii) स्टॉक को अंशों में परिवर्तित करें
- (iii) अनिर्गमित अंशों को रद्द कर
- (iv) अंश पूंजी का एकीकरण करें तथा
- (v) अंशों को कम मूल्य के अंशों में विभाजित कर

## अंश पूंजी में कटौती :—
(Reduction of Share Capital)

अंश पूंजी में परिवर्तन करने की अपेक्षा अंश पूंजी में कटौती करना कंपनी के लिए कठिन होता है, अतः अंश पूंजी में कमी करने के संबंध में निम्नलिखित विधियाँ है—

- (i) पार्षद सीमा नियम एवं अन्तर्नियम में परिवर्तन करना
- (ii) विशेष संकल्प पारित करना
- (iii) न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त करना
- (iv) रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन करना तथा
- (v) लेनदारों की सहमति प्राप्त करना।